

प्रेषक,

संख्या-1959/मोरवा (60)/2011

सेवा में

मंजू सिंह,

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ।

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद

शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र

प्रोति विहार, नई दिल्ली।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग

विषय -

मेरठ दिनांक : 08-06-2011

महोदय,

सूरजमल हायर सैकेंड्री स्कूल, ग्राम बातनौर, फलावदा राड (मेरठ) को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-9(299)/2007 दिनांक 14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 08-06-2011 को मण्डलायुक्त मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें उक्त सन्दर्भित विद्यालय को सी0वी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जान का निर्णय लिया गया :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण करवाया जायेगा।

2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/देशिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।

7. राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश दिये जायेंगे, वे पालन किये जायेंगे।

Manager

Surajmal Modern Sr. Sec. School
Phalawada, Mawana, Meerut

Principal

Surajmal Modern Sr. Sec. School
Phalawda Mawana (Meerut)

Principal
Surajmal Modern Sr. Sec. School
Phalawada, Mawana, Meerut
Offi. No.- 2131454

- (8) विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकों में रखा जायेगा।
 (9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमत्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
 (10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- विद्यालय द्वारा छात्रों से कॉशनमनी (सिक्योरिटी), भवन शुल्क (गर्न्टीनेन्स), प्रवेश शुल्क, खोनेशन, मैनेजमेन्ट शुल्क, पिफगस शुल्क मदी में शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(मंजू सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल मेरठ।

सं०-1999/मं०स० (60)/2011 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।

प्रबन्धक, सुरजमल हाइए सैकेण्ड्री स्कूल, ग्राम बातनौर, फलावदा रोड (मेरठ)।

Manager
Surajmal Modern Sr Sec. School
Phalawada, Mawana, Meerut

Principal
Surajmal Modern Sr. Sec. School
Phalawada, Mawana, Meerut
Affi No.- 2131454

(मंजू सिंह)

संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

Principal
Surajmal Modern Sr. Sec. School
Phalawda Mawana (Meerut)